उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या-4/2021/256/तीन-2021-39(1)/2002
लखनऊः दिनांकः 06 अप्रैल, 2021

<u>विज्ञप्ति/विविधि</u>

उत्तर प्रदेश शासन की पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या-741/33-3-221 दिनांक-26-03-2021 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-12 खख एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-264ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अधिसूचना संख्या-709/रा0नि0आ0अनु0-3/ पं0नि0/20-21/2021 दिनांक 26 मार्च 2021 जारी की गयी है। अधिसूचना संख्या-709/रा0नि0आ0अनु0-3/ पं0नि0/20-21/2021 दिनांक-26 मार्च 2021 द्वारा निम्नलिखित के अनुसार चार चरणों में मतदान का दिनांक उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित जनपदों में नियत की गयी हैः-

क्र0	**चुनाव चक्र एवं मतदान का दिनांक**	**संबंधित जनपद**
1	2	3
1-	प्रथम चरण 15 अप्रैल, 2021	सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झाँसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर एवं भदोही।
2-	द्वितीय चरण 19 अप्रैल 2021	मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, बिजनौर, अमरौहा, बदायूँ, एटा, मैनपुरी कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोण्डा, महराजगंज, वाराणसी एवं आजमगढ।
3-	तृतीय चरण 26 अप्रैल 2021	शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरेया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, चंदोली, मिर्जापुर एवं बलिया।
4-	चतुर्थ चरण 29 अप्रैल 2021	बुलन्द शहर, हापुड, संभल, शाहजहाँपुर, अलीगढ, मथुरा, फर्रूखाबाद, बाँदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्मेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र एवं मऊ।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त निर्वाचन में विभिन्न चरणों के मतदान के दिवसों में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26, 1881) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-PUB-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, के अनुक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या-709/रा0नि0आ0अनु0-3/पं0नि0/ 20-21/2021 दिनांक-26-03-2021 के अनुसार उक्त प्रस्तर-01 मंे अंकित तालिका के स्तम्भ-02 में उल्लिखित मतदान का दिनांक 15 अप्रैल 2021, 19 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2021 एवं 29 अप्रैल 2021 को उनके सम्मुख स्तम्भ-03 में उल्लिखित जनपदों में श्री राज्यपाल सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं।

3- मतदान का दिनांक 15 अप्रैल 2021, 19 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2021 एवं 29 अप्रैल 2021 को संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन हेतु अपने-अपने जनपद में अवकाश घोषित किया जाएगा।

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-256(1)/तीन-2021-39(1)/2002,तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि जिन कार्यालयों के कर्मचारियों को मतदान के कार्य में लगाया जाए, उन कार्यालयों के विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित करें कि वे ऐसे कर्मचारियों को मतदान दिवस के एक या दो दिन पूर्व, जब भी निर्वाचन अधिकारी उपयुक्त समझे, कार्यमुक्त करेंगें ।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-256(2)/तीन-2021-39(1)/2002,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- रजिस्ट्रार जनरल मा0 उच्च न्यायालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
5- समस्त प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन
6- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9- अपर निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, पी0 सी0एफ0 भवन-32 स्टेशन रोड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या- 786/रा0नि0 आ0 अनु0-3/पं0नि0/23-2021 दिनांक 27-3-2021 के सन्दर्भ में।

-3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस विज्ञप्ति के यथा आवश्यक प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।

11- पंचायती राज अनुभाग-3

12- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग प्रेस, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति को उ0प्र0 के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड (ख) के अन्तर्गत हिन्दी में शीध्र प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
उमेश यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।